कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

श्रीमती सरिता कुमावत, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय केलजर जिला चित्तौडगढ द्वारा स्वयं के पति के अध्यापक लेवल–2 के पद पर जयपुर जिले में पदस्थापित होने के कारण स्वयं को भी जयपुर या उसके समीप पदस्थापित किये जाने हेतु माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में एस.बी.सिविल याचिका संख्या 11715/2019 सरिता कुमावत बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई।

याचिका संख्या 11715/2019 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.09.2019 द्वारा याचिकार्थी श्रीमती सरिता कुमावत को अपनी व्यक्तिगत कठिनाईयों के सम्बन्ध में प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना विस्तृत अभ्यावेदन पेश करने और प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा उपर्युक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे विधि अनुसार एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) प्रसारित करते हुए निस्तारित करने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए।

माननीय न्यायालय के निर्णय के क्रम में याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में अपने पति के राजकीय सेवा में अध्यापक लेवल–2 के पद पर पदस्थापित होने के कारण उनके पदस्थापन स्थान के निकट राउमावि घाटवा/लालास/करकेरी/खानतलाई जिला नागौर अथवा नवक्रमोन्नत राउमावि चारणवास/बदनपुरा/बंधा बस्ती जिला जयपुर में प्रधानाचार्य पद पर समायोजित/पदस्थापित किये जाने की मांग की गई।

याचिकार्थी के अभ्यावेदन का माननीय न्यायालय निर्णय एवं राज्य सरकार एवं विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया एवं उनकी मांग पर विचार किया गया। याचिकार्थी राज्य सेवा की अधिकारी हैं और विभागाध्यक्ष द्वारा उन्हें राज्य हित/छात्र हित, विभागीय आवश्यकता अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी पदस्थापित किया जा सकता है। यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि इच्छित स्थान पर पदस्थापन की मांग अधिकारपूर्वक नहीं की जा सकती। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ए.आई.आर. 1993 एस.सी. 2486 पंजाब राज्य बनाम जोगेन्द्र सिंह दत्त प्रकरण में यह प्रतिपादित किया गया है कि यह नियोजक का परमाधिकार है कि वह अपने अधीन राज्य सेवा के कार्मिक को कब व कहां पदस्थापित करे। तद्नुसार याचिकार्थी श्रीमती सरिता कुमावत, प्रधानाचार्य द्वारा की गई मांग उचित नहीं होने के कारण उनका अभ्यावेदन एतद द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। सम्बन्धित सूचित हों।

(हिमांशु गुप्ता)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा–मा./संस्था/बी–2/एस.बी.सी/सरिता कुमावत/11715/2019 दिनांक: 24.01.2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर संभाग, जयपुर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जयपुर।
5. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक जयपुर।
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. सरिता कुमावत, प्रधानाचार्य, केलजर जिला चित्तौडगढ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)